मालसिंह / चरंजन लाल 122/19

दिनांक	आज्ञा पत्र	
18.9.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 122/2019

1 मालसिंह आयु 70 साल पुत्र श्री रिछपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नावलाई बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। मो. नम्बर 9662232482

अपीलांट

बनाम

1 रामेश्वर लाल पुत्र श्री नानूराम जाति माली निवासी ग्राम नावलाई बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
2 जगदीश सिंह पुत्र श्री बाग सिंह
3 प्रहलाद सिंह (फौत)
3/1 पप्पू सिंह पुत्र स्व. प्रहलाद सिंह
3/2 हिम्मत सिंह पुत्र स्व. प्रहलाद सिंह
4 माल सिंह पुत्र श्री बागसिंह
5 नवरतन सिंह (फौत)
5/1 प्रताप सिंह पुत्र स्व. नवरतन सिंह
5/2 गुड्डू सिंह पुत्र स्व. नवरतन सिंह
6 सज्जन सिंह पुत्र श्री बाग सिंह
7 दशरथ सिंह पुत्र श्री बाग सिंह
8 हरि सिंह (फौत)
8/1 सतकार सिंह पुत्र स्व. हरिसिंह
8/2 रघुनाथ सिंह पुत्र स्व. हरिसिंह
8/3 लाल सिंह पुत्र स्व. हरि सिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8/4 भरत सिंह पुत्र स्व हरिसिंह
9 श्योदान सिंह (फौत)
9/1 विजय सिंह पुत्र स्व. श्योदान सिंह
10 राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जयसिंह
11 मनोहर सिंह पुत्र श्री जय सिंह
12 पूर्ण सिंह पुत्र श्री जय सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
13 भूमिधारक तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
14 पटवारी पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांकित 24.01.2014 श्री आर.सी. अग्रवाल आरएएस उपखण्ड अधिकारी महोदय श्रीमाधोपुर जिला सीकर अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 32/2012 अन्तर्गत धारा 251 क उक्त धारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री हरीश कुमार शर्मा–1, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 19.9.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 32/2012 में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने 251 ए उपधारा 1 का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 24.01.2014 पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि जिस तथाकथित रास्ता जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आने जाने हेतु पूर्व में चालू था उक्त रास्ते को बन्द करवाने की गरज से अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 592 की उत्तरी सीमा पर 20 मीटर लम्बाई 3.66 मीटर चौड़ा कुल क्षेत्रफल 74.00 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 591 में दक्षिणी सीमा पर खसरा नम्बर 590 के दक्षिण में होते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कृषि भूमियां खसरा नम्बर 596, 598, 599/2, 600 में जाने के रास्ते की लम्बाई 110 मीटर चोड़ा 3.66 मीटर कुल क्षेत्रफल 400.00 वर्गमीटर, खसरा नम्बरों की 474.00 वर्गमीटर की भूमि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्टस संख्या 2 लगायत 10 की भूमि से कम की गयी। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कृषि भूमि में आने जाने का कदीमी रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 10 की भूमियों में से सीधा होकर कायम किया हुआ था। उक्त रास्ते को षड़यन्त्र पूर्व कटान में नही होने के कारण अपीलार्थी की भूमि में नया रास्ता कायम करवाने की गरज से अपीलार्थी की भूमि की स्थिति को बिगाड़ने व नुकसान पहुंचाने की गरज से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा षड़यन्त्र पूर्वक कार्यवाही की गयी है तथा विचारण न्यायालय द्वारा वास्वविक तथ्यों को नजरअन्दाज कर निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 24.01.2014 पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई सुनवायी का अवसर नहीं दिया। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा गलत व झूंठे आवेदन पर विश्वास कर निर्णय पारित किया गया तथा उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

समस्त कार्यवाही अपीलार्थी ने षड़यन्त्र रचकर बाला–बाला व गुपचुप रूप से पारित करवायी गयी। जिसकी अपीलार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी कृषि भूमियों में आवागमन हेतु अपीलार्थी की भूमि से जो रास्ता गलत रूप से कायम करवाया गया है वह रास्ता सीधा नहीं होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 10 से साजिस रचकर कायम करवाया गया है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तामील कुनिन्दा से साजकर अन्य व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर बिना किसी तारीख व गवाहान की उपस्थिति में हुई फर्जी तामील को मान्यकर विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित कर सख्त कानूनी भूल की गयी है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध दो बार नोटिस जारी किये गये है। दोनों बार चस्पांदगी से तामील हुई है। बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। आवेदक के पास वैकल्पिक रास्ता होने, अन्य लघुत्तम रास्ता होने का तथ्य अपीलांट ने अपील में प्रकट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत पाया जाता है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर